न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 119/2013 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरूलाल पिता भीमा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती रोड़ीबाई बेवा भीमा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती मोतीबाई बेवा स्वर्गीय माना जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भूरीबाई (पिता माना जी) पत्नी खेमराज जी पटेल, निवासी नन्दीवेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. दोला पिता जीवा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती लाली बेवा नंगा जी डांगी (मृतक)
5. खेता पिता नान जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. चतरलाल पिता नान जी डांगी, नि0 लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. श्रीमती कंकूबाई पुत्री नान जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. खेमा पिता रतना जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. लक्ष्मण पिता लाला जी डांगी, नि0 लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. मावा पिता मेघा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. गंगाराम पिता नंगा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती चेनीबाई पुत्री नंगा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती तेजूबाई पुत्री नंगा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती नाथीबाई पुत्री नंगा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती गोरीबाई बेवा नंगा जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
17. शेरलाल पिता लाला जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्रीमती प्रेमी पुत्री लाला जी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
19. हवजी पिता केवजी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
20. देवीलाल पिता केवजी डांगी, निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
21. भगवानलाल पिता केवजी डांगी, नि0 लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
22. बृजमोहन सुखवाल (ओझा) पिता ऊंकारलाल जी ओझा, निवासी 20, हरिहर नगर, रामपुरा, सिसारमा रोड़ा, उदयपुर (राज.)
23. श्रीमती मनोरमा पाण्डे पत्नी बृजमोहन सुखवाल, निवासी 20, हरिहर नगर, रामपुरा, सिसारमा रोड़ा, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 23.10.2013 प्र. सं. 49/09

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक रेस्पो॰सं॰ 1 व 2
3. श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक रेस्पो॰सं॰ 22 व 23
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 11

———:::———

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 से 23 की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम लाल पुरा में वाद पत्र की परिशिष्ट ''क'' की कुल किता 31 रकबा 3.3550 हैक्टर, परिशिष्ट ''ख''

की कुल किता 16 रकबा 3.9100 हैक्टर, परिशिष्ट ''ग'' की कुल किता 61 रकबा 16.1500 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 के पिता श्री माना पिता वाला डांगी का देहान्त आज से करीब 33 वर्ष पूर्व हो चुका है, जिससे उक्त भूमियों का विरासत से इन्द्राज उसकी पत्नी वादी संख्या 1 के नाम हुआ, जबकि वादी संख्या 2 माना जी की जाईन्दा पुत्री है, लेकिन उस समय प्रतिवादी संख्या 2 करीब 6 माह की ही थी, इसलिए विरासत से भूमि उसकी पत्नी वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जबकि कानूनन पुत्री का नाम भी पत्नी के साथ दर्ज होना चाहिए था। परिशिष्ट ''क'' की भूमियों में माना जी का 1/10 हिस्सा था, जो वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जबकि उसमें वादी संख्या 2 का भी 1/20 हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की भूमियों में माना जी का 1/4 हिस्सा था, जो वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जबकि उसमें वादी संख्या 2 का भी 1/8 हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' की भूमियों में माना जी का 1/20 हिस्सा था, जो वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जबकि उसमें वादी संख्या 2 का भी 1/40 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमियों का अभी बंटवाड़ा नहीं हुआ है, किन्तु सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि माना जी के बड़े भाई स्वर्गीय भीमा जी के वारिस है, वादीगण को खेती करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा वादग्रस्त भूमियों को बल पूर्वक हड़पना चाहते हैं। निवेदन किया कि विवादित आराजियात में माना जी के हिस्से में वादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 2 को भी सहखातेदार घोषित किया जावे तथा विधिवत विभाजन कराया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7, 8 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिशिष्ट ''क'' की आराजियात में प्रतिवादीगण आपस में काश्त की सुविधा अनुसार खेती करते चले आ रहे हैं। कि परिशिष्ट ''ख'' की आराजियात में वादीगण का किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है, प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल अकेले का कब्जा चला आ रहा है। माना जी की मृत्यु हिन्दू काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व हुई। वादिया संख्या 1 को केवल भरण–पोषण का अधिकार है। वादिया संख्या 2 का इस आराजियात में कभी भी कब्जा नहीं रहा, माना जी की मृत्यु के समय वह मात्र 6 माह की

थी। माना जी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण विवादित भूमि के न तो खातेदार हैं, न ही उनका कब्जा है। कि परिशिष्ट ''क'' की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 ने कुंआ खोद रखा है, जिसमें लाखों रूपये खर्च किये व बिजली कनेक्शन लिया, जिससे वह अपने हिस्से व कब्जे की भूमियों की पिलाई कर काश्त करता है। वादीगण तीनों परिशिष्टों की भूमियां प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। वादीगण ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व यह कभी नहीं कहा कि वादग्रस्त भूमियों का बंटवाड़ा करा खाते अलग कराये जावे। कि परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की आराजियात के अलावा भी पक्षकारों की शामलाती भूमियां ग्राम लालपुरा में स्थित हैं, जिसे वादीगण ने वाद में सम्मिलित नहीं किया है, जिससे कथित वाद अपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त भूमि जो वाद की कलम संख्या 1 की कि परिशिष्ट ''क'', ''ख'' व ''ग'' में वर्णित है, यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 से 23 की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं ? .....वादीगण

2. आया वादी संख्या 2 भूरीबाई स्वर्गीय माना की जाईन्दा पुत्री होने से स्वर्गीय माना के हिस्से व खातेदारी की वादग्रस्त भूमि विरासत से राजस्व रेकार्ड में केवल वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी, उसके कुलिया हिस्से की भूमि में वादी संख्या 2 आधा अर्थात 1/2 हिस्से की हकदार है एवं अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारिणी है ? .....वादीगण

3. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाड़ा कराने की अधिकारिणी हैं ? .....वादीगण

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण को अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में काश्त करने में बाधा पहुंचाते हैं इसलिए वादीगण उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं ? .....वादी

5. आया माना पिता वाली की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो गयी थी इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है ? ..... प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 23–10–2013 से वादीगण का वाद स्वीकार कर वादी संख्या 2 श्रीमती भूरीबाई को वादी संख्या 1 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–12–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 22 व 23 जो कि दौराने कार्यवाही आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत पक्षकार बने हैं, की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में जो साक्ष्य आयी उसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही विश्लेषण नहीं किया गया एवं उसके आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में भूल की है, जबकि यह तनकी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 से 23 की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त के होने के संबंध में बनायी गयी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी कोई फाईडिंग दिये बिना निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 2 बिना किसी साक्ष्य

के वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में भूल की है। माना जी की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो चुकी थी तथा वादी संख्या 1 केवल भरण पोषण की अधिकारिणी है तथा वादी संख्या 2 का इन आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम नहीं की है तथा तनकी संख्या 5 के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना मानकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इसे मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 3 व 4 का निर्णय भी त्रुटि पूर्ण किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय किया गया है, जिसमें विवादित भूमि मृतक माना की होना प्रमाणित होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्री का भी हक माना है तथा माना की बेवा वादी संख्या 1 जो पूर्व से ही रेकार्ड सहखातेदार है, उसके साथ उसकी पुत्री भूरीबाई वादी संख्या 2 का भी समान हक होना माना है। प्रकरण में यह कहीं स्थापित नहीं है कि माना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं हुई हो तथा इस कारण भूरीबाई का विवादित भूमियों में हक अधिकार नहीं हो। प्रकरण में माना की बेवा केवल भरण–पोषण की अधिकारी हो ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं हुआ है तथा माना जी की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हुई हो यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में तनकी नंबर 1 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में करने में किसी प्रकार की त्रुटि की जाना हम नहीं पाते हैं।

तनकी नंबर 2 के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय ने विरासत के आधार पर वादीया संख्या 2 को खातेदार मानने में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि पुत्री का भी पुत्र के समान ही हक होता है तथा उत्तराधिकार एवं सहखातेदारी के मामलों में कब्जे का प्रश्न गौड़ होता है। किसी भी हिन्दू की बेवा को भरण–पोषण के आधार पर उसकी भूमि को हड़प किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा यदि उसकी पुत्री को वंचित किया गया है तो उसे

अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी के अनुक्रम में तनकी नंबर 3 व 4 का निर्णय भी विधिक रूप से किया है तथा तनकी नंबर 5 जो कि मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अवलंबित है, उक्त तनकी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध तय करने में किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भैरूलाल पिता भीमा जी डांगी, नि0 लालपुरा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती मोतीबाई बेवा माना जी डांगी निवासी लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**119 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....23**.....माह.....**10**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**....माह.....**04**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री ओकारलाल डांगी**..मिनजानिब अपीलान्ट व..**श्री मन्नाराम डांगी/ नरेन्द्र सोनी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**04**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।